हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 16.03.2018

संख्या 14/10/2017–3क–II:– हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या का0आ0 38/ह0अ0 16/1994/धा087/2014, दिनांक 3.3.2014 के निरन्तर में तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 में,–

" (vi) नगर निगम, सोनीपत की स्थिति में दिनांक 31 मार्च 2019 तक तथा अन्य नगर निगमों की स्थिति में 31 मार्च, 2018 तक शत् प्रतिशत छूट उन गांवों के 'लाल डोरा' में स्थित रिहायशी सम्पत्तियों को दी जायेगी, जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2010, को या इसके बाद नगर निगमों की सीमाओं में आती हैं।"

आनन्द मोहन शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।